प्रेस विज्ञप्ति
12.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। रायपुर केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में निरुद्ध रामगोपाल अग्रवाल को पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत 11.08.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 18.08.2026 तक 7 दिनों की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में भेज दिया है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे।

ईडी ने यह जांच आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ईओडब्लू/एसीबी), रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर तथा इसके बाद माननीय विशेष न्यायालय (पीसी अधिनियम), रायपुर के समक्ष दायर आरोप-पत्र एवं पूरक आरोप-पत्रों के आधार पर प्रारंभ की थी। इन आरोपों में वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी प्रशासन में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, कूटरचना एवं भ्रष्टाचार शामिल हैं।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि अनिल टूटेजा (सेवानिवृत्त आईएएस), अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी (आईटीएस) से मिलकर बने एक सिंडिकेट ने राज्य के शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया तथा लेखाबद्ध शराब बिक्री पर अवैध कमीशन, बेहिसाबी देशी शराब की बिक्री, डिस्टिलरों से वसूले गए वार्षिक कमीशन तथा विदेशी शराब कंपनियों से वसूले गए कमीशन और एफ एल-10ए लाइसेंस प्रदान करने के एवज में कमीशन के माध्यम से लगभग 3,000 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की।

जांच में आगे यह भी सामने आया कि उक्त अपराध से अर्जित आय का एक बड़ा हिस्सा, जो नकद में उत्पन्न किया गया था, रामगोपाल अग्रवाल को उनकी हैसियत से **छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष** के रूप में दिया गया था।

पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत नकदी को संभालने एवं स्थानांतरित करने वाले व्यक्तियों के दर्ज बयानों से पता चला कि रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर तथा सिंडिकेट के माध्यम से नकदी संभालने वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त नकदी रायपुर स्थित राजीव भवन में पहुंचाई गई थी, जो उस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था। पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत जारी किए गए चार समनों के जवाब में वह उपस्थित होने में विफल रहे तथा बाद में दर्ज किए गए उनके बयान में उन्होंने टालमटोल वाले उत्तर दिए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।